न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 120 /22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

1– गोपाल जी महाराज जरिये पुजारी सीतारामदास पिता बंशीदास बेरागी निवासी रूघनाथपुरा
2– गोपाल जी मजाराज जरिये पुजारी मीठूदास पिता बंशीदास बेरागी निवासी रूघनाथपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– उगमा पिता मांगू चमार निवासी रूगनाथपुरा
2– मीठू पिता उदा चमार निवासी रूगनाथपुरा
3– देबी पिता दयाराम चमार निवासी रूगनाथपुरा
4– रामबक्ष पिता मगना चमार निवासी रूगनाथपुरा
5– भेरू पिता नारायण चमार निवासी रूगनाथपुरा
6– मगना पिता पन्ना रेगर निवासी रूगनाथपुरा
7– खाना पिता खूमा रेगर निवासी रूगनाथपुरा
8– हीरा पिता श्रवण रेगर निवासी रूगनाथपुरा
9– भेरू पिता बीरम रेगर निवासी रूगनाथपुरा
10– रामजस पिता धन्ना जाट निवासी रूगनाथपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री कमलेश कुमार मुण्डेतिया**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **16.08.2022**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के **ग्राम रूघनाथपुरा पटवार हल्का रूघनाथपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 563 रकबा 0.64 है0, 565 रकबा 0.04 है0, 569 रकबा 0.05 है0, 571 रकबा 0.03 है0, 572 रकबा 0.10 है0, 573 रकबा 0.58 है0** कुल **किता 6** रकबा **1.44** हैक्टेयर प्रार्थीगण **काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम रूघनाथपुरा पटवार हल्का रूघनाथपुरा संवत 2074 से 2077** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **रूघनाथपुरा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 569 रकबा 0.05 है0 किस्म गेमु रास्ता होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 5 रकबा 1.39 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस **600/**रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **16.08.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा